

क्रमांक: एफ10(6)विप्रौ/विउनवलगढ/2016/378

दिनांक: 03.10.2023

खुली निविदा आमंत्रण सूचना

विज्ञान उद्यान, नवलगढ, झुंझुंनु हेतु विभिन्न सेवाओं/कार्यों के एक वर्षीय अनुबन्ध हेतु मोहरबन्द लिफाफों में तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें (द्विस्तरीय निविदा सिस्टम) निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा जमा/प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय (दोपहर 2 बजे तक)
1.	संचालन, प्रदर्शन, गतिविधि आयोजन सेवायें	09.50	19000/-	200/-	13.10.2023
2.	तकनीकी रखरखाव सेवा	02.35	4700/-	200/-	13.10.2023
3.	बागवानी कार्य मय सामग्री	03.25	6500/-	200/-	13.10.2023
4.	सफाई कार्य मय सामग्री	03.25	6500/-	200/-	13.10.2023
5.	सुरक्षा कार्य	09.00	18000/-	200/-	13.10.2023

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें इस विभाग की रोकड़ शाखा से निर्धारित निविदा शुल्क नकद (डाक द्वारा मंगवाने पर रु 50/- अतिरिक्त) जमा कराकर या अनुसंधान अधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बीकानेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के साथ दिनांक 13.10.2023 को दोपहर 2 बजे तक भिजवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं। भरी हुई निविदाएं उपरोक्तानुसार 13.10.2023 को दोपहर 2 बजे तक स्वीकार की जाकर 13.10.2023 को दोपहर 3 बजे विभाग के उपरोक्त पते पर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष तकनीकी निविदा खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.dst.rajasthan.gov.in / स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर देखा एवं डाउनलोड कर मय निर्धारित शुल्क के विभाग में जमा करवाया जा सकता है।

अनुसंधान अधिकारी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
बीकानेर

मूल्य ₹ 200.00

निविदा-प्रपत्र

कार्य का नाम: विज्ञान उद्यान, नवलगढ, झुझुनू में अनुबन्ध पर तकनीकी रखरखाव कार्य के वार्षिक अनुबन्ध हेतु निविदा

महत्वपूर्ण दिनांक एवं प्रसंग

निविदा संख्या	क्रमांक: 378 दिनांक 03.10.2023
निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि एवं समय	दिनांक 13.10.2023 को दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 13.10.2023 को दोपहर 3.00 बजे
निविदा फार्म सामने अंकित वैब साईट से भी डाउनलोड की जा सकती है।	www.dst.rajasthan.gov.in
निविदा की वैधता अवधि	3 months from the date of opening of Bid

Name of the Company / Firm:	
Name of Contact Person:	
Address of Company/ Firm for Correspondence:	
Office Telephone No.:	
Office Fax No.	
Office E-Mail Address:	

जहाँ सेवा कार्य सम्पादित किया जाना है, का पता:-

विज्ञान उद्यान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुझुनू राजस्थान

जहां निविदा प्रपत्र प्राप्त किया व जमा कराया जाना है। :-

क्षेत्रिय कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मरुधरा कॉलोनी, नागणेचेजी मंदिर रोड़, बीकानेर, राजस्थान। फोन 0151-2226661

जहां निविदाएं खोली जानी है: -

क्षेत्रिय कार्यालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मरुधरा कॉलोनी, नागणेचेजी मंदिर रोड़, बीकानेर, राजस्थान। फोन 0151-2226661

विषय-सूची

क्र.स.	विवरण	अध्याय #
1.	निविदा आमंत्रण	अध्याय 1
2.	निविदा सूचना	अध्याय 2
3.	कार्य विवरण	अध्याय 3
4.	पात्रता के मानदंड (Eligibility Criteria)	अध्याय 4
5.	बयाना राशि (Earnest Money Deposit)	अध्याय 5
6.	निविदा की विधि	अध्याय 6
7.	अपात्रता	अध्याय 7
8.	निविदा का मूल्यांकन	अध्याय 8
9.	प्रतिभूति राशि एवं निर्णित हर्जाना (Security Deposit and Liquidated Damages)	अध्याय 9
10.	सामान्य नियम, शर्तें एवं भुगतान विधि	अध्याय 10
11.	निविदा प्रपत्र (Bid Form) / तकनीकी निविदा	अध्याय 11
12.	वित्तीय निविदा	अध्याय 12
अनुलग्नक (Annexures):-		
i.	कार्य के अनुभव का विवरण	Annexure 1
ii.	शपथ पत्र (फर्म के लेटर हेड पर)	Annexure 2
iii.	चेक लिस्ट	Annexure 3
iv.	खुली निविदा के संबंध में वित्त विभाग के आवश्यक दिशा निर्देश	Annexure 4

अध्याय-1

निविदा आमंत्रण

राजस्थान सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग योग्य फर्मों से विज्ञान उद्यान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुझुनू राजस्थान में अनुबन्ध पर तकनीकी रखरखाव कार्य के वार्षिक अनुबन्ध हेतु निविदाएं आमंत्रित करता है।

1. निविदा विहित निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत करनी होगी।
2. निविदा सूचना राज्य सरकार के नियमों के अनुसार समाचार पत्रों में जारी करने के साथ राजस्थान (SPPP) सरकार एवं विभाग की अधिकृत वेबसाइट www.dst.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित कर दी है।
3. निविदा प्रपत्र कार्यालय समय में कार्यालयाध्यक्ष के अनुभाग में उपलब्ध होने के साथ साथ उक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जो कि इच्छुक फर्मों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है।
4. निविदादाता से अपेक्षित है कि वह निविदा जमा करवाने से पूर्व सम्पूर्ण निविदा प्रपत्र का भली-भांति अध्ययन कर ले तथा विज्ञान उद्यान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुझुनू राजस्थान में सम्बन्धित कार्य का निरीक्षण कर लें। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण हेतु निविदा सूचना में अंकित दिनांक तक कार्यालय समय में कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है। तथापि विभाग किसी प्रकार के लिखित स्पष्टीकरण हेतु बाध्य नहीं है।
5. निविदादाता, पूर्ण रूप से भरी हुई निविदा मय समस्त वांछित प्रपत्रों/संलग्नकों के, निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय में, निविदा सूचना में अंकित स्थान पर जमा करवाना सुनिश्चित करवायेगा। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ अथवा उससे पूर्व निविदा शुल्क एवं बयाना राशि विहित रूप में जमा करानी अनिवार्य है जिसके बिना निविदा निरस्त समझी जायेगी (निविदा शुल्क एवं बयाना राशि के डीडी/ बैंकर्स चैक अलग-अलग प्रस्तुत करें एवं चैक/डीडी के पिछले पृष्ठ भाग पर पैंसिल से अपनी फर्म का नाम एवं निविदा (कार्य) का नाम, संख्या अंकित करें) तथापि, यदि निविदादाता किसी प्रकार की नियमानुसार छूट चाहता है तो उसे निविदा में उसका उल्लेख करते हुए सम्बन्धित प्रपत्रों की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए अन्यथा उक्त निविदा को छूट के योग्य नहीं समझा जायेगा।
7. विभाग द्वारा समय पर प्राप्त निविदाओं को, निविदा सूचना में दर्शाये गए समय एवं दिनांक को समिति तथा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोला जायेगा। सर्वप्रथम तकनीकी निविदाएं खोली जायेंगी तथा तकनीकी मूल्यांकन के पश्चात तकनीकी रूप से सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदायें सम्बन्धित फर्मों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेंगी जिसका दिनांक, समय व स्थान निविदादाताओं को सूचित कर दिया जाएगा।
8. निविदादाता द्वारा निविदा निर्धारित प्रारूप मय अनुलग्नकों के तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर व मोहर लगाकर प्रस्तुत करेगा।

9. विभाग को किसी भी निविदा को, पूर्ण अथवा भाग को, स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत/निरस्त निविदाओं के निविदादाताओं से कोई विमर्श नहीं किया जायेगा।
10. निविदा प्रपत्र में बतायी गयी शर्तों के अतिरिक्त निविदादाता की कोई भी अन्य शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सशर्त निविदा स्वीकृत नहीं होगी।
11. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार निविदा प्रपत्र आदि उचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद करना चाहिये।
12. निविदा प्रपत्र स्याही से भरे जायेंगे। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अंत में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
13. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटि या उपरिलेखन (कटिंग्स एवं ओवरराईटिन्स) नहीं होनी चाहिये। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिये एवं निविदादाता उस स्थान पर हस्ताक्षर करेगा।
14. निविदायें उनके खोले जाने की दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।
15. यदि इन शर्तों के किसी भाग, निविदा के स्पेसिफिकेशन के आशय के बारे में कोई संदेह हो तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे विभाग के सक्षम अधिकारी से उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करना होगा।
16. निविदा के साथ निर्धारित बयाना राशि प्रस्तुत की जायेगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। यह राशि नकद (₹ 20,000 से कम की राशि) अथवा बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक जो “Research Officer, Department of Science & Technology, Bikaner” अथवा “ अनुसंधान अधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बीकानेर” के नाम होगा, के द्वारा जमा करायी जायेगी। सफल निविदादाता को आदेश प्राप्त होने के 8 दिवस की अवधि के भीतर रु. 500/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा और कार्यादेश की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी।
17. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से भी कम दरों वाली निविदा को, स्वीकार करने के लिए विभाग बाध्य नहीं है। बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या निविदा स्वीकार करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखेगा। विज्ञान पार्क परिसर नवलगढ, झुंझुनू स्थित निविदत्त कार्य को निविदादाता देख लेवे एवं कार्य की प्रकृति को समझ लेवे।
18. अन्य बिन्दु जो विधि सम्मत है।

अनुसंधान अधिकारी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
बीकानेर

अध्याय-2 निविदा सूचना


खुली निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक: 271 / 02.09.2021

विज्ञान उद्यान, नवलगढ, झुंझुनू हेतु विभिन्न सेवाओं/ कार्यों के एक वर्षीय अनुबन्ध हेतु मोहरबन्द लिफाफों में तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें (द्विस्तरीय निविदा सिस्टम) निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र शुल्क	निविदा जमा/प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय (दोपहर 2 बजे तक)
1.	तकनीकी रखरखाव सेवा	02.35	4700 / -	200 / -	13.10.2023

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें इस विभाग की रोकड़ शाखा से निर्धारित निविदा शुल्क नकद (डाक द्वारा मंगवाने पर रु 50/- अतिरिक्त) जमा कराकर या अनुसंधान अधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बीकानेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर चैक के साथ दिनांक 13.10.2023 को दोपहर 2 बजे तक भिजवाकर प्राप्त किये जा सकते हैं। भरी हुई निविदाएं उपरोक्तानुसार 13.10.2023 को दोपहर 2 बजे तक स्वीकार की जाकर 13.10.2023 को दोपहर 3 बजे विभाग के उपरोक्त पते पर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष तकनीकी निविदा खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट www.dst.rajasthan.gov.in / स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर देखा एवं डाउनलोड कर मय निर्धारित शुल्क के विभाग में जमा करवाया जा सकता है।


अनुसंधान अधिकारी
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
बीकानेर

अध्याय 3

कार्य विवरण

3. विभाग द्वारा अभीष्ट कार्य के विवरण निम्नानुसार है:-

- 3.1.1 विज्ञान उद्यान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुंझुंनू में तकनीकी रखरखाव कार्य अनुबन्ध पर उपलब्ध कराना।
- 3.1.2 तकनीकी रखरखाव सेवाएँ उपलब्ध कराने के कार्य हेतु ठेका/अनुबन्ध एक वर्ष के लिए किया जावेगा तथा सन्तोषप्रद पाया गया तो ठेका/अनुबन्ध पूर्व की दरों एवं ठेके/अनुबन्ध की शर्तों पर पारस्परिक सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।

3.1.3 कार्य का विस्तृत विवरण

विभाग द्वारा अभीष्ट कार्य के विवरण निम्नानुसार है:-

विज्ञान उद्यान, नवलगढ में निम्न इण्डोर गैलरी एवं गतिविधि स्थल निम्न प्रकार से हैं:-

ऑडिटोरियम, सेमीनार हॉल, टेम्प्रेरी एग्जीबिशन हॉल, फन साइंस इण्डोर गैलरी, न्युक्लियर गैलरी, तारामण्डल आदि एवं उक्त के अतिरिक्त शेष क्षेत्र, विज्ञान उद्यान परिसर में शामिल है जहाँ कि आउट डोर मोडेल्स, आदि स्थित हैं।

- 3.1.4 अनुबन्ध एक वर्ष के लिए किया जावेगा तथा सन्तोषप्रद पाया गया तो पूर्व अनुबन्ध की दरों एवं शर्तों पर पारस्परिक सहमति से नियमानुसार बढ़ाया जा सकता है।

1	तकनीकी सेवा	कार्यबिन्दु 02	ITI in electrician/wireman or equivalent with 2 years of relevant experience or relevant experience 5 years
	योग	2	

विज्ञान उद्यान का संचालन समय परिवर्तनशील है। वर्तमान में साप्ताहिक अवकाश सोमवार है। उक्त संख्या संकेतात्मक है, आवश्यकता होने पर अधिक कार्य निष्पादक लगाकर कार्य करवाया जाना होगा।

मॉडल/उपकरण रखरखाव हेतु तकनीकी सेवा

- केन्द्र में स्थित इलैक्ट्रिक पैनल बॉक्स के रखरखाव का कार्य
- केन्द्र लाईट जलाना व केन्द्र बन्द होते समय उसे बन्द करना।
- केन्द्र की समस्त इलेक्ट्रिक मशीनों/ उपकरणों का रखरखाव करना।
- केन्द्र की समस्त आंतरिक विद्युत प्रणाली को सुचारु रूप से चालू रखने से संबंधित कार्य।
- बिजली पैनल्स/ केबल्स का रखरखाव।
- सोलर इक्विपमेंट्स व बैटरीज का रखरखाव।
- दर्शकों के लिये विद्युत सुरक्षा हेतु आवश्यक व्यवस्था करना। केन्द्र में स्थित इलैक्टिकल मॉडल्स का प्रतिदिन रखरखाव करना।
- ग्रीसींग, आईलिंग, अलाईनमेंट आदि।
- बाजार से मॉडल से संबंधित रिपेयरिंग/मरम्मत के कार्य करवाना।

10. उपकरणों के खराब होने पर वर्कशाप में रिपेयर करना एवं यदि क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र या विज्ञान उद्यान के बाहर ठीक करवाना है तो सम्बन्धित फर्म से रिपेयर करवाने की कार्यवाही करना।
11. सामान्य रखरखाव, **AMC** प्रदाता से समन्वय करना।
12. केन्द्र में स्थित **मैकेनिकल/इलेक्ट्रीकल** मॉडल्स का प्रतिदिन रखरखाव करना।
13. ग्रीसींग, आईलिंग, अलाईनमेंट आदि।
14. बाजार से मॉडल से संबंधित रिपेयरिंग/मरम्मत के कार्य करवाना।
15. प्रदर्शनों हेतु पैनल्स का रखरखाव/खोलना आदि।
16. मॉडल्स से सम्बन्धित समस्त सर्विस मैनुअल परिपथ आदि का संधारण करना।
17. निर्देशानुसार कार्य करना होगा।

अध्याय 4

पात्रता के मानदण्ड (Eligibility Criteria)

विज्ञान उद्यान परिसर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुंझुनू में अनुबन्ध पर तकनीकी रखरखाव कार्य के वार्षिक अनुबन्ध हेतु
निविदादाता को इन निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढना चाहिये एवं अपनी निविदायें भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिये।

(ए) निविदादाता की पात्रता (Eligibility Criteria) जो अनिवार्य है एवं जिनके अभाव में निविदा निरस्त मानी जावेगी।

1. निविदा फर्म के निदेशको/प्रोपराइटरों/साझेदारों/मालिक/कम्पनी सचिव के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भरी जाने की अवस्था में उस व्यक्ति को निविदा भरने हेतु फर्म के निदेशको/प्रोपराइटरों/साझेदारों/मालिक/कम्पनी सचिव के द्वारा अधिकृत किया जाने वाले दस्तावेज की प्रति प्रस्तुत करनी होगी जो फर्म के निदेशक/ प्रोपराइटरों/ साझेदारों/ मालिक/ कम्पनी सचिव के द्वारा सत्यापित होनी चाहिये।
2. निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित बयाना राशि आवश्यक रूप से जमा करवाया जाना है जिसके बिना निविदा निरस्त समझी जायेगी। इसके प्रमाण के रूप में नकद जमा रसीद अथवा निर्धारित मूल्य का डीडी/ बैंकर चैक जो कि “Research Officer, Department of Science & Technology, Bikaner” अथवा “ अनुसंधान अधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बीकानेर” के नाम हो, तकनीकी निविदा के साथ प्रपत्र में विवरण अंकित करते हुए संलग्न करना होगा। तथापि कोई निविदादाता निविदा शर्तों के अनुरूप निविदा मूल्य में छूट पाना चाहता है तो उसे निविदा में इसका उल्लेख करते हुए समस्त आवश्यक प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न करने होंगे जिनके बिना उसे छूट का पात्र नहीं समझा जायेगा।

बयाना राशि:-

3. ठेकेदारों/निविदादाताओं को बयाना राशि सम्बंधित अध्याय/ निविदा सूचना में दिये गये विवरण के अनुसार आवश्यक रूप से निविदा जमा करवाने के समय- बयाना राशि (EARNEST MONEY), के रूप में नकद की रसीद की प्रति (₹ 20,000/- से कम की राशि होने की स्थिति में) अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/ प्रतिभुति निक्षेप जो “Research Officer, Department of Science & Technology, Bikaner” अथवा “ अनुसंधान अधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बीकानेर” के नाम हो, तकनीकी निविदा के साथ जमा करवानी है। बयाना राशि के अभाव में निविदा निरस्त समझी जायेगी। तथापि कोई निविदादाता निविदा शर्तों के अनुरूप बयाना राशि में छूट पाया जाना चाहता है तो उसे निविदा में इसका उल्लेख करते हुए समस्त आवश्यक प्रपत्र निविदा के साथ संलग्न करने होंगे जिनके बिना उसे छूट का पत्र नहीं समझा जायेगा।

पंजीकरण :-

4. ठेकेदार/निविदादाता/फर्म को निविदा के साथ किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा (राज्य/केन्द्र) श्रम सम्बन्धित विभाग में पंजीकरण की स्वसत्यापित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करनी चाहिये जिसके अभाव में निविदा निरस्त की जा सकेगी।
5. ठेकेदार/निविदादाता/फर्म किसी भी सक्षम प्राधिकारी (राज्य व केन्द्र) से अधिकृत GST सम्बंधित विभाग में पंजीकृत होनी चाहिये। फर्म की निविदा के साथ आवश्यक रूप से उक्त पंजीकरण प्रपत्रों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करनी चाहिये जिसके अभाव में निविदा निरस्त की जा सकेगी।

6. निविदादाता फर्म श्रम विभाग, पी.एफ. विभाग एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए (यदि लागू है) तथा निविदा प्रपत्र के साथ सम्बन्धित **पंजीयन प्रमाण-पत्र** की स्वप्रमाणित प्रति निविदा प्रपत्र में विवरण अंकित करते हुए संलग्न की जानी अनिवार्य है।

कार्यानुभव: -

7. निविदादाता को किसी भी निविदत्त कार्य यथा अनुबन्ध पर तकनीकी रखरखाव सेवा उपलब्ध कराने के कार्य या तत्सम्बन्धी सेवायें प्रदान करने का **न्यूनतम 01** वर्ष का अनुभव हो जिसमें अनुभव के प्रमाण के तौर पर कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र/ कार्यादेश की प्रति, भुगतान प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न करनी होंगी। इसका विवरण इस निविदा प्रपत्र के Annexure 01 में बढ़ती हुई तिथि वार अंकित किया जाना आवश्यक है।

वित्तीय स्थिति:-

8. निविदादाता का गत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर न्यूनतम ₹ 05 लाख प्रतिवर्ष (औसतन) होना आवश्यक है। इसके प्रमाण के रूप में निविदादाता फर्म की गत तीन वित्तीय वर्ष (2020-21, 2021-22 व 2022-23) की चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (संविदा लेखाकार) से प्रमाणित बैलेन्सशीट/ऑडिट रिपोर्ट की प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।
9. निविदादाता के विभिन्न टैक्स जैसे जीएसटी/आयकर व अन्य राज्य/केन्द्र सरकार को देयकर 31 मार्च 2023 तक (या सरकार द्वारा निर्धारित तिथि तक) बकाया नहीं होने चाहिए।
10. निविदादाता द्वारा अपने लैटर हैड पर निर्धारित प्रारूप (**Annexure-02**) में शपथ पत्र (undertaking) में प्रदान करेगा जिसमें वह स्पष्ट रूप से निविदा के साथ लगाये गये प्रपत्रों/दस्तावेजों के सत्य होने को उल्लेखित करेगा व प्रमाणित करेगा कि निविदादाता फर्म केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा ब्लोक लिस्टेड नहीं किया गया है।
11. उक्त पात्रता पूरी करने वाले योग्य निविदादाता ही तकनीकी बिड (प्री-क्वालीफिकेशन) में सफल माने जावेंगे तथा उन्ही की वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड (प्री-क्वालीफिकेशन) में योग्य नहीं पाये जाने वाले निविदादाताओं की वित्तीय बिड नहीं खोली जावेगी।

हस्ताक्षर निविदादाता
(हस्ताक्षर करने वाले का नाम)
फर्म की मुहर

अध्याय 5 बयाना राशि (Earnest Money Deposit)

निविदाता द्वारा तकनीकी निविदा के साथ बयाना राशि निम्न शर्तों के अंतर्गत जमा करवाया जाना अपेक्षित है:

1. ठेकेदारों/निविदादाता द्वारा निविदा में अभिलिखित किए गए अनुमानित मूल्य का **2 प्रतिशत बयाना राशि** निविदा के साथ जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। बिना बयाना राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. बयाना राशि केवल नकद (₹ 20,000/- से कम की राशि होने की स्थिति में)/डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में स्वीकार की जाएगी। डिमांड ड्राफ्ट तथा बैंकर्स चैक किसी भी शिड्यूल्ड बैंक का “Research Officer, Department of Science & Technology, Bikaner” अथवा “अनुसंधान अधिकारी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बीकानेर” के नाम बीकानेर में देय होगा। बयाना राशि एवं निविदा शुल्क अलग अलग जमा करवाए जाने होंगे। अलग अलग निविदा हेतु अलग अलग बयाना राशि के डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जमा करवाने हैं।
3. वित्तीय निविदा खुलने के दिनांक से तीन माह तक वैध होगी।
4. सफल निविदादाता की बयाना राशि प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) में समायोजित की जाएगी तथा शेष प्रतिभूति राशि, करार के निष्पादन के समय ली जाएगी। यदि सफल निविदादाता द्वारा पृथक से पूर्ण प्रतिभूति राशि जमा करा दी गयी है तो जमा करायी बयाना राशि लौटा दी जावेगी।
5. बयाना राशि का समपहरण (Forfeiture of EMD):- निम्नलिखित मामलों में में बयाना राशि को समपहृत कर लिया जाएगा:-
 - (क) जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात अपनी बोली प्रत्याहृत या उपान्तरित करता है।
 - (ख) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश देने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नहीं करता है।
 - (ग) जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।
 - (घ) जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य संपादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
 - (ङ) जब बोली लगाने वाला अधिनियम और नियमों में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिये विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

अध्याय 6 निविदा की विधि

- 6 यह निविदा द्वि-स्तरीय निविदा सिस्टम आधारित है जिसमें प्रथम स्तर तकनीकी निविदा है तथा द्वितीय स्तर वित्तीय निविदा है। निविदा की विधि निम्नानुसार है:-
- 6.1 निविदा टाइप की हुई अथवा अमिट स्याही से भरी होनी चाहिये।
 - 6.2 निविदा एवं संलग्न प्रपत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में होने चाहिये। अन्य भाषा में प्राप्त निविदा अथवा प्रपत्रों/दस्तावेजों को विचार हेतु अयोग्य माना जायेगा।
 - 6.3 निविदा दाता निविदा प्राप्त करने, भरने विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने तथा स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के दौरान होने वाले समस्त खर्च स्वयं वहन करेगा। इस हेतु विभाग द्वारा कोई भी राशि देय नहीं होगी।
 - 6.4 निविदादाता से यह अपेक्षित है कि उसे साइट (जहाँ कि कार्य किया जाना है), निविदा की शर्तों एवं अन्य समस्त स्थानीय कानूनों एवं परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होगा। ऐसा न होने पर होने वाले नुकसान और/अथवा अन्य प्रभाव के लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा था विभाग किसी प्रकार के दखल/क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
 - 6.5 निविदा प्रस्तुत किये जाने की आखिरी दिनांक के पश्चात् तीन माह की अवधि तक वैध होनी चाहिये। उक्त अवधि से अल्प वैधता वाली निविदा निरस्त योग्य मानी जायेगी।
 - 6.6 प्रकाशित निविदा में इंगित तकनीकी निविदा प्रस्तुत किये जाने के अंतिम दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाएं विलम्बित निविदाएं मानी जायेगी तथा उनको खोले बिना सम्बंधित फर्मों को लौटा दिया जायेगा।
 - 6.7 विभाग द्वारा तकनीकी निविदा को क्रय समिति एवं निविदादाता फर्मों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष प्रकाशित निविदा में इंगित तकनीकी निविदा खोले जाने के दिनांक एवं समय खोला जायेगा। तकनीकी निविदा का मूल्यांकन विभाग द्वारा अधिकृत क्रय समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें ऐसी निविदाएं जो सम्पूर्ण हो तथा अध्याय-5 में वर्णित तकनीकी अर्हताएं पूरी करती हो को तकनीकी रूप से स्वीकृत निविदाएं घोषित किया जायेगा। जो निविदाएं अपूर्ण हों अथवा निर्धारित तकनीकी अर्हताएं पूरी नहीं करती हो उन्हें अस्वीकृत घोषित कर निरस्त कर दिया जायेगा।
 - 6.8 तकनीकी रूप से स्वीकृत निविदाओं की वित्तीय निविदा को क्रय समिति एवं तत्सम्बंधित निविदादाता फर्मों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा जिस हेतु दिनांक, समय एवं स्थान की सूचना तत्सम्बंधित निविदादाता फर्मों निविदा में बताये गये पते पर दे दी जायेगी।
- 6.9 **निविदा लिफाफे एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का तरीका :-**
1. निविदादाता द्वारा निविदायें दो अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। प्रथम लिफाफा तकनीकी बिड (प्रि-क्वालीफिकेशन) तथा दूसरा वित्तीय बिड के लिए होगा।
 2. निविदादाता को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित लिफाफे में निविदा प्रस्तुत करनी होगी तथा लिफाफों के उपर तकनीकी बिड या वित्तीय बिड स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा।
 3. प्रथम लिफाफे (तकनीकी बिड) में अध्याय 4 में अंकित समस्त प्रपत्र रखे जावेगे :-
 - i. निविदा प्रपत्र मूल्य जमा का प्रमाण (नकद रसीद की प्रति/ डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/ प्रतिभूति निपेक्ष)

- ii. अमानत (बयाना) राशि जमा का प्रमाण (डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/ प्रतिभूति निपेक्ष/ विभाग में राशि जमा की रसीद) बयाना राशि के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा/ राज्य सरकार से देय छूट मान्य होगी।
 - iii. मूल निविदा प्रपत्र, शर्तें व अनुलग्नक (प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर हो।)
 - iv. Annexure 1 (सेवाओं का अनुभव)
 - v. Annexure 2 (शपथ पत्र)
 - vi. Annexure 3 (चैक लिस्ट)
 - vii. अनुभव प्रमाण पत्र
 - viii. टर्न ओवर का चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (संविदा लेखाकार) का प्रमाण पत्र की प्रति/ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट (संविदा लेखाकार) द्वारा प्रमाणित बैलेंस शीट की प्रति।
 - ix. पंजीयन प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां (श्रम विभाग, पी.एफ. विभाग एवं ई.एस.आई. विभाग जो भी लागू हो)
4. दूसरे लिफाफे (नम्बर-2) में केवल वित्तीय निविदा (बिड) होगी जिसमें निविदादाता को निर्धारित प्रपत्र में अपनी दर अंको में एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। शब्दों एवं अंको में उल्लेखित राशि में अन्तर होने पर दोनों में से जो राशि कम होगी उस पर विचार किया जावेगा।
 5. तकनीकी तथा वित्तीय निविदा का प्रत्येक पृष्ठ निविदादाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित तथा फर्म की मोहर लगा होना चाहिये। ऐसा कोई भी पृष्ठ जो अहस्ताक्षरित अथवा बिना फर्म की मोहर अथवा दोनों हो, निविदा का भाग नहीं माना जायेगा तथा उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
 6. उक्त दोनों लिफाफे एक मुख्य लिफाफे में रखे जाकर जमा कराया जाना चाहिये। निविदायें अनुसंधान अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, बीकानेर के कार्यालय में निर्धारित तिथि एवं समय तक प्रस्तुत/प्रेषित करनी होंगी। मुख्य लिफाफे के उपर “विज्ञान उद्यान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुंझुनू में अनुबन्ध पर तकनीकी रखरखाव कार्य उपलब्ध कराने के कार्य के वार्षिक अनुबन्ध हेतु निविदा” व “निविदा शुल्क व बयाना राशि का विवरण” (यथा जी.ए.-55 नंबर/डी.डी./बैंकर्स चैक का ब्यौरा) स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए। निविदादाता का पता एवं फोन नम्बर इत्यादि लिफाफे पर अंकित होना चाहिये। डाक में विलम्ब होने का कारण स्वीकार्य नहीं होगा।

लिफाफा संख्या	लिफाफों में निम्न दस्तावेज होने चाहिये
लिफाफा सं.1	तकनीकी निविदा, लिफाफा (नम्बर-1): निविदा प्रपत्र शुल्क व बयाना राशी जमा का प्रमाण (रसीद या डीडी), मूल निविदा प्रपत्र, शर्तें व अनुलग्नक (प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर हो।) (अध्याय-1 से अध्याय-11 तक), Annexure-1, 2, 3, 4 (Check list with copies of documents)
लिफाफा सं.2	वित्तीय निविदा लिफाफा (नम्बर-2): अध्याय-12
मुख्य लिफाफा	उपरोक्त दोनों लिफाफे

मुझे/हमें इस निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तें मंजूर हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता

मोहर

अध्याय 7 अपात्रता

- 7 निविदाएं निम्न कारणों से अपात्र घोषित की जा सकती हैं :
- 7.1 निविदा सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त हुई निविदाएं।
- 7.2 बिना निविदा मूल्य एवं बयाना राशि के जमा निविदाएं। यदि उक्त हेतु छूट चाही गयी है तो इसके लिये पात्रता साबित करने के लिए आवश्यक प्रपत्र/दस्तावेजों की स्वसत्यापित प्रतियों के बिना प्राप्त निविदायें।
- 7.3 अपूर्ण निविदायें।
- 7.4 भ्रामक अथवा गलत तथ्य/दावे प्रस्तुत करने वाली निविदायें।
- 7.5 खराब कार्य यथा किसी अनुबन्ध को बीच में छोड़ना, खराब कार्य हेतु रिकार्ड उपलब्ध होना इत्यादि, अकारण देरी, कार्य/आदेशों की अपालना/देरी (एकाधिक बार), वित्तीय असफलता।
- 7.6 विभाग द्वारा चाहे गये स्पष्टीकरण को न प्रदान कर पाना/तय समय से देरी से प्रदान करना।
- 7.7 एक से ज्यादा निविदाएं प्रस्तुत करना। ऐसा होने पर फर्म द्वारा भरी गयी समस्त निविदाएं तकनीकी मूल्यांकन में निरस्त की जा सकेंगी।
- 7.8 अपूर्ण व सशर्त निविदा प्रस्तुत करना।
- 7.9 तकनीकी अर्हताओं का पूर्ण न कर पाना।
- 7.10 निविदादाता अथवा उसके किसी प्रतिनिधि का अवांछित रूप से प्रभाव डालना/डलवाना, विवाद इत्यादि करना, रिश्वत इत्यादि का प्रस्ताव करना अथवा गैर कानूनी रूप से तुष्टीकरण करना।
- 7.11 अल्प वैद्यता वाली निविदा प्रस्तुत करना।
- 7.12 यदि निविदादाता का अनुबंध समयावधि में व्यवहारकुशल न होना।
- 7.13 सर्विस चार्ज शून्य एवं दशमलव में अंकित की गई बोलियां मान्य नहीं होगी एवं निरस्त समझी जावेगी।
- 7.14 निविदादाता सर्विसचार्ज के अतिरिक्त सभी प्रकार की वित्तीय दरें यथासंभव पूर्णांक में अंकित करें।

अध्याय 8 निविदा का मूल्यांकन

- 8 निविदा का मूल्यांकन निम्नानुसार होगा:
- 8.1 तकनीकी निविदा, निविदा-सूचना में प्रकाशित अंतिम तिथि एवं समय तक प्राप्त होने वाली समस्त निविदाएं क्रय समिति एवं फर्मों के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष तकनीकी निविदा खोलने हेतु निर्धारित तिथि एवं समय को खोली जायेगी। उक्त तिथि/समय में परिवर्तन होने पर नवीन तिथि की सूचना प्रदान कर दी जायेगी।
 - 8.2 तकनीकी निविदाएं खुलने के समय समस्त वित्तीय निविदाओं के लिफाफे बन्द रखते हुए निविदाओं के खुलने समय क्रय समिति के सदस्यों एवं सफल फर्मों उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जायेंगे।
 - 8.3 तकनीकी निविदाएं खुलने के बाद इनको तकनीकी रूप से मूल्यांकन किया जायेगा। आवश्यक समझने पर निविदादाताओं से उनके द्वारा प्रस्तुत तकनीकी निविदा में प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रपत्र/दस्तावेजों पर स्पष्टीकरण भी मंगा सकता है जिसे निविदादाताओं को तय समय सीमा विभाग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। निविदादाताओं द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकारी का होगा। स्पष्टीकरण के जवाब में कोई भी नवीन दस्तावेज मान्य नहीं होगा।
 - 8.4 तकनीकी निविदाओं के मूल्यांकन के पश्चात् देरी से आने वाली, अपूर्ण अथवा तकनीकी अर्हता पूर्ण नहीं करने वाली निविदाओं को अस्वीकार करते हुए निरस्त घोषित कर दिया जायेगा तथा अन्य सभी निविदाओं को स्वीकार करते हुए उन की वित्तीय निविदाएं खोली जायेगी।
 - 8.5 गलतियों का सुधार:-वित्तीय निविदाओं का मूल्यांकन विभाग द्वारा किया जायेगा। इस दौरान किसी प्रकार की गलती का सुधार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग 2 में वर्णित नियमों के तहत किया जायेगा।
 - 8.6 गलतियों के सुधार के पश्चात् नियमानुकूल संशोधित दरों के आधार पर निविदाओं का आंकलन किया जायेगा।
 - 8.7 प्राप्त दरों के आधार पर न्यूनतम निविदादाता को कार्यादेश दिया जावेगा निविदादाता द्वारा कार्यादेश को स्वीकार करने साथ विभाग के साथ प्रतिभूति राशि जमा करवाते हुए रु. 500/- अथवा तत्सम्बन्धित समय पर प्रचलित कानून/नियमों के अनुसार राशि के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। अनुबन्ध एवं प्रतिभूति राशि तय समय सीमा में प्रस्तुत करनी होगी।

अध्याय 9

प्रतिभूति राशि एवं निर्णित हर्जाना

(Security Deposit and Liquidated Damages)

- 9 प्रतिभूति राशि (Security Money), व निर्णित हर्जाना (Liquidated Damages) निम्नानुसार होंगे:
- 9.1 प्रतिभूति निक्षेप सफल निविदादाता द्वारा क्रय/कार्य आदेश की राशि का 5 % के बराबर प्रतिभूति राशि आदेश की दिनांक से 8 दिवस में जमा करानी होगी।
- 9.2 प्रतिभूति निक्षेप निम्नलिखित किसी एक रूप में दी जाएगी:—
- (क) "ई. जी. आर. ए. एस.(e-GRAS) के माध्यम से जमा";
- (ख) किसी अनुसूचित बैंक का बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक;
- (ग) नगद राशि के रूप में।
- (घ) किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी/गारंटियां। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी। बैंक गारंटी से संबंधित अन्य शर्तें बोली प्रतिभूति के लिए नियम 42 में वर्णित के समान होंगी।
- (ङ) बैंक एफडीआर नियमानुसार ।
- 9.3 प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Security Deposit):— निम्नलिखित मामलों में में प्रतिभूति राशि को समपहृत कर लिया जाएगा:—
- 9.3.1 जब संविदा में किन्हीं नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो,
- 9.3.2 जब निविदादाता सम्पूर्ण प्रदाय सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहता हो,
- 9.3.3 जमा कराई गई प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने से पूर्व युक्तियुक्त समय देते हुए निविदादाता को नोटिस दिया जाएगा।
- 9.3.4 बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप की समपहृत की गयी राशि सम्बंधित विभाग के शीर्ष अन्य प्राप्तियों में जमा करायी जाएगी तथा अन्तरण प्रविष्टि की व्यवस्था के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
- 9.3.5 जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश होने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार यदि कोई हो का निष्पादन नहीं करता है।
- 9.3.6 जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य संपादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- 9.4 प्रतिभूति निक्षेप का प्रतिदाय:— अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के तीन माह पश्चात् प्रतिभूति निक्षेप निविदादाता को लौटा दिया जावेगा। निविदा दाता को रूपये 10/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यदि किसी प्रकार की बकाया राशि निकलती है तो वह राशि निविदा दाता से वसूल करने के उपरान्त ही शेष राशि लौटायी जायेगी।
- 9.5 हर्जाना/शास्ति :- कार्य निविदा की शर्तों के अनुरूप न करने पर या विलम्ब से सम्पादित करने पर सामान्य वित्तीय लेखा नियम (भाग-II) के नियम 58 के अनुसार क्षतिपूर्ति आरोपित की जायेगी। किसी माह मे कार्य अपुर्ण या असन्तोषजनक रहने की स्थिति में हर्जाना/शास्ति निम्नानुसार वर्णित राशि के अनुसार उस माह अथवा पश्चातवर्ती बिलों में से काट ली जावेगी।

1.	किसी कार्य बिन्दु पर कार्य संतोषजनक न करने अथवा कार्य निष्पादन करने वाले की अनुपस्थिति होने पर मासिक बिल से निम्न दर से कटौति कर ली जावेगी— कटौति की दर प्रति दिवस प्रति कार्य बिन्दु रुपये में = अनुबन्ध की मासिक दर (रुपयों में) / निविदा में अंकित कुल कार्य बिन्दुओं की संख्या x 26
2.	उक्त के अतिरिक्त 3 दिवस में निर्देशित कार्य न करने की स्थिति में विभाग द्वारा निविदादाता के हर्जे-खर्चे पर, वांछित कार्य करवाया जा सकता है जिसकी राशि बिल अथवा सुरक्षा राशि से काटी जा सकेगी।
3.	किसी कार्य बिंदु पर आंशिक कार्य (कार्य निष्पादक द्वारा आधे दिन कार्य करने पर) उस बिन्दू का भुगतान आधा किया जाएगा।
4.	ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों का भुगतान प्रत्येक माह की 8 तारीख से पूर्व करना होगा अन्यथा 500 रुपये प्रतिदिन की शास्ति आरोपित की जायेगी।
5.	ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मचारियों को प्रतिदिन निर्धारित वर्दी में आना अनिवार्य है। किसी दिन वर्दी में नहीं आने पर ₹ 50/- प्रतिदिन प्रति व्यक्ति शास्ति आरोपित की जायेगी।

कुल शास्ति एक माह की अनुबन्ध दरों से अधिक नहीं होगी।

9.6 सफल निविदादाता को कार्यादेश दिए जाने की दिनांक से 8 दिवस में निर्धारित राशि के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा।

9.7 निविदादाता को कार्यादेश दिए जाने की दिनांक से 8 दिवस की अवधि में कार्य प्रारम्भ करना होगा। यदि निविदादाता उक्त अवधि में कार्य आरम्भ करने में असफल रहता है तथा परिनिर्धारित नुकसानी के साथ परिधान अवधि में वृद्धि की जाती है तो कार्य के एक माह के मूल्य के निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर परिसमापित नुकसानी (Liquidity damage) की वसूली की जाएगी :

No	Condition	Liquidity damage
a.	Delay up to one fourth period of the prescribed delivery period / commencement of work	2.5 %
b.	delay exceeding one fourth but not exceeding half of the prescribed period / commencement of work	5.0 %
c.	delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed period / commencement of work	7.5 %
d.	Delay exceeding three fourth of the prescribed period / commencement of work	10.0 %

9.8 सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध के अनुसार सात कार्य दिवस से अधिक की अवधि तक कार्य अपूर्ण छोड़ने अथवा नहीं करने की स्थिति में वह कार्य निविदादाता के हर्जे खर्चे पर विभाग द्वारा पूर्ण करवाया जा सकता है।

अध्याय 10 सामान्य नियम, शर्तें एवं भुगतान

निविदा हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगे।

- 1 निविदादाता अपनी निविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सोंपेगा या उपभाडे (सबलैट) पर नहीं देगा।
- 2 स्वीकृत निविदादाता को अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के लिये कार्य का अनुबंध करना होगा। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से नियमानुसार और बढ़ाया जा सकेगा।
- 3 कार्य आदेश मिलते ही निविदादाता को विभाग से संबंधित अधिकारी से रखरखाव व उससे संबंधित उपकरणों का चार्ज संभालना होगा।
- 4 निविदादाता द्वारा समस्त चल व अचल संपत्ति सही व चालू हालत में रखरखाव के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी से संभाल कर लेनी होगी तथा ठेके की अवधि समाप्त होने पर सही व चालू हालत में वापस संभलवानी होगी।
- 5 उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यों में रही कमियों के लिए शास्ति निर्धारण का पूर्ण अधिकार निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को होगा।
- 6 निविदादाता द्वारा नियोजित कर्मचारियों के संबंध में किसी भी प्रकार की दुर्घटना या आकस्मिकताओं के लिये विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- 7 निविदादाता द्वारा नियोजित कर्मचारियों के संबंध में लागू किसी भी प्रकार के कानूनों, नियमों एवं उपनियमों से उत्पन्न किसी भी प्रकार के दायित्वें एवं बाध्यताओं के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।
- 8 उपरोक्त के अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी/कर्मचारियों के निर्देशानुसार संबंधित समस्त कार्य करने होंगे।
- 9 विभाग द्वारा निविदादाता का कार्य संतोषप्रद न पाये जाने की स्थिति में अथवा उपरोक्त शर्तों की पालना न करने पर यह निविदा राज्य सरकार द्वारा एक माह के नोटिस पर रद्द की जा सकेगी।
- 10 विभाग द्वारा निविदादाता के कर्मचारियों का आचरण /कार्य संतोषप्रद न पाये जाने की स्थिति में अथवा उपरोक्त शर्तों की पालना न करने पर यह कर्मचारियों को तुरन्त हटाना होगा।
- 11 राज्य सरकार द्वारा जनहित में ठेका कभी भी निरस्त किया जा सकता है।
- 12 निविदादाता द्वारा रखे गये कर्मचारियों/कार्मिकों के भुगतान/पीएफ/बीमा आदि की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 13 निविदादाता के कार्मिकों हेतु अतिरिक्त कार्य/साप्ताहिक छुट्टी के एवज में किये गये कार्य का कोई अतिरिक्त भुगतान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देय नहीं होगा।
- 14 निविदा के निर्वचन आशय या व्याख्या एवं शर्तों के उल्लंघन के संबंध में निदेशक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान जयपुर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

- 15 समस्त विधिक कार्यवाहियां (यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो) जयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी।
- 16 निविदा हेतु सामान्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेगे।
- 17 राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण पत्र के सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
- 18 **न्यूनतम दैनिक मजदूरी:**—ठेकेदार/निविदादाता द्वारा अपने कर्मियों को राज्य द्वारा निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी दिये जाने की अप्ण्डरटैकिंग देनी होगी। इस सम्बन्ध में समय पर जारी सभी राजकीय अनुदेश की पालना की समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 19 **ESI & PF:**— कर्मचारी राज्य बीमा के अतर्गत कटौति किया जाना एवं राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य प्रकार की कटौतियों को कर्मियों पर लागू करना एवं इस प्रकार की राशी को नियमानुसार समय पर जमा कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार/निविदादाता को होगा। संवेदक आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के **ESI & PF** के अंशदान की राशि का नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि से संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
- 20 श्रम नियमों व अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले सभी नियमों की पालना का उत्तरदायित्व ठेकेदार/निविदादाता का रहेगा। किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा निविदादाता के माध्यम से विभाग में नियुक्त दैनिक मजदूरी/वेतन भोगी को अन्य किसी प्रकार के दावे का भुगतान विभाग द्वारा देय नहीं होगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 21 सम्बन्धित कार्यों में कार्यरत कर्मियों को तत्समय प्रचलित कानून/ नियमों के तहत समस्त सुरक्षा उपकरण/संसाधन/परिवेश उपलब्ध करवाने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार/निविदादाता की होगी। तकनीकी कार्यों के विवरण में दिये तकनीकी कार्यों को करते समय दुर्घटनावश अथवा अन्य किसी कारण से घायल होने, अथवा स्थाई/अस्थायी रूप से अपंग होने की स्थिति में—समस्त जिम्मेदारी एवं इसके मुआवजे आदि देने का भार ठेकेदार/निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
- 22 संवेदक द्वारा नियोजित कर्मचारी श्रमिकों को मजदूरी भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
- 23 श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी भुगतान करने का दायित्व संवेदक का होगा।
- 24 संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर की राशि का अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर के चालानों की प्रति आगामी बिल के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। इसके अभाव में भुगतान की कार्यवाही नहीं की जायेगी।

- 25 ठेकेदार/निविदादाता द्वारा कार्य करने वाले व्यक्तियों (सदस्यों) के फोटो identity card-cum-entry pass जारी किये जायें एवं उपरोक्त कार्ड के साथ ही कार्य के लिए विज्ञान उद्यान परिसर में प्रवेश करेंगे, अन्यथा नहीं। साथ ही कार्य निष्पादकों की सूची विभाग को भी उपलब्ध करवानी होगी। कर्मियों की समस्त देखरेख ठेकेदार/निविदादाता की होगी एवं इनके अतिरिक्त कोई भी दूसरे व्यक्ति का विज्ञान उद्यान परिसर में प्रवेश वर्जित रहेगा। कार्य करने वाले व्यक्ति निर्धारित वर्दी में ही प्रवेश करेंगे अन्यथा नहीं। ठेकेदार/निविदादाता को स्वयं के खर्च पर कार्य कर रहे कर्मियों को वर्दी उपलब्ध करवानी होगी। साथ ही यदि कोई कर्मियों कार्य को छोड़कर जाता है अथवा नया भेजा जाता है तो इसकी समस्त जानकारी कार्यालयाध्यक्ष को उपलब्ध करवानी होगी। इन कार्यों के लिए किये जाने वाले समस्त खर्च का भुगतान विभाग द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
- 26 ठेकेदार/निविदादाता द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मियों के चाल एवं चरित्र के लिये निविदादाता पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे। कर्मियों के चाल चलन एवं चरित्र से सम्बंधित पूर्व में यदि कोई रिकार्ड कानूनी रूप से खराब हो तो उसे कार्य के लिये नहीं लगाया जावेगा।
- 27 विभाग द्वारा निविदादाता के कर्मचारियों का आचरण/कार्य संतोषप्रद न पाये जाने की स्थिति में अथवा उपरोक्त शर्तों की पालना न करने पर यह कर्मचारियों को तुरन्त हटाना होगा
- 28 ठेकेदार/निविदादाता निविदत्त कार्य का ठेका किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित (सबलेट) नहीं कर सकेगा। ऐसा पाया जाने पर ठेका/अनुबन्ध निरस्त कर जमानत राशि जप्त कर ली जायेगी
- 29 निविदत्त कार्य व्यवस्था के लिये अधिकृत अधिकारी द्वारा दिये गये समस्त आदेशों को निविदादाता को पालन करना होगा तथा बिना किसी विवाद के ठेकेदार/निविदादाता को कार्य सुनिश्चित करना होगा।
- 30 ठेके/निविदा की अवधि में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उस विवाद पर निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा एवं ठेकेदार/निविदादाता को मान्य होगा।
- 31 किसी प्रकार का विवाद होने पर समस्त कानूनी कार्यवाहियां किसी भी पक्ष (सरकार अथवा निविदाकार) द्वारा संशय किये जाने की आवश्यकता पड़े तो जयपुर स्थित न्यायालय में ही प्रारम्भ होगी एवं अन्य स्थान पर नहीं।
- 32 किसी भी माह में कार्य पर्याप्त स्तर की नहीं पायी जाने पर उस माह के बिल में से नियमानुसार शास्ति राशि दण्ड स्वरूप **अध्याय-9 के अनुसार** काट ली जावेगी।
- 33 **अनुबन्ध राशि का भुगतान:**—ठेकेदार/निविदादाता को कार्यों का भुगतान प्रत्येक माह की समाप्ति पर कार्य सन्तोषजनक पाये जाने की स्थिति में किया जायेगा। अनुबन्ध राशि का मासिक बिल तीन प्रतियों में अलग-अलग प्रस्तुत करने होंगे तथा संबधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने के पश्चात् भुगतान किया जायेगा। कार्य सन्तोषजनक न पाए जाने की स्थिति में **अध्याय-9 के अनुसार** की कटौती कर भुगतान किया जावेगा।
- 34 सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध के अनुसार कार्य सात कार्य दिवस से अधिक की अवधि तक अपूर्ण छोड़ने अथवा नहीं करने की स्थिति में सफल निविदादाता के हर्जे-खर्च पर विभाग द्वारा करवाया जा सकता है।
- 35 नियमानुसार आयकर/अन्य कर की कटौती की जायेगी।

- 36 वित्तीय निविदा मे शब्दों एवं अंको मे भिन्नता पाए जाने की स्थिति में शब्दों में वर्णित दरों को ही मानते हुए तुलना की जावेगी। यदि गणना मे कोई त्रुटि है तो अलग दरों को सही मानते हुए इनके योग की गणना कर तुलना हेतु लिया जावेगा।
- 37 सामान्य स्थितियों मे निविदा के पश्चात् बातचीत नहीं की जायेगी। तथापि, बातचीत निम्नतम निविदाकारों से उन परिस्थितियों में की जा सकती है जहा रिंग मूल्य उद्धरित किए गए हो या दरें अत्यन्त विचारणीय हो एवं प्रचलित बाजार दर से अत्यधिक उची हों। स्वीकार्य दरों के असमाधान प्रद उपलब्धियों के मामले मे क्रय समिति निम्नतम निविदाकार हेतु नियमो मे दिये गये अनुसार प्रति प्रस्ताव करने का भी निश्चय कर सकती है। यदि प्रतिप्रस्ताव निम्नतम निविदाकार को स्वीकार्य न हो तो समिति निविदाओं को नामजूर करने और निविदा पुनः आमंत्रित करने या उसी प्रतिप्रस्ताव को पहले द्वितीय निम्नतम निविदाकार को और तथा तृतीय निम्नतम निविदाकार को और इसी क्रम मे उस निविदाकार को प्रतिप्रस्ताव दिया जा सकता है जो प्रतिप्रस्ताव को स्वीकार करे।
- 38 सफल निविदादाता को कार्यदेश दिए जाने की दिनांक से 8 दिवस मे अनुबंध करना होगा।
- 39 सेवा बिन्दु की उपस्थिति प्रतिदिन प्रभारी अधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। कार्यबिन्दु पर कार्मिक अनुपस्थित होने पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
- 40 जिस सेवा बिन्दु के सेवाव्यवहार अनुशासन के प्रति असतुष्ट होने की स्थिति में उक्त सेवाबिन्दु को तुरन्त प्रभाव से हटाना होगा व वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
- 41 निविदादाता को कार्यदेश दिए जाने की दिनांक से 8 दिवस की अवधि में कार्य प्रारम्भ करना होगा। यदि निविदादाता उक्त अवधि मे कार्य आरम्भ करने में असफल रहता है तथा परिनिर्धारित नुकसान के साथ परिधान अवधि मे वृद्धि की जाती है तो कार्य के एक माह के मूल्य के निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर परिसमापित नुकसान (liquidity damage) की वसूली की जाएगी।

No.	Condition	liquidity damage %
1	Delay up to one fourth period of the perscribed delivery period /commencement of work	2.5 %
2	Delay exceeding one fourthe but not exceeding half of the prescribed /commencement of work.	5.0 %
3	Delay exceeding half but not exceeding three fourth of the prescribed period / commencement of work	7.5 %
4	Delay exceeding three fourth of the prescribed period / commencing of work.	10.0 %

* कुल शास्ति 1 माह की अनुबंध दरों से अधिक नहीं होगी।

42. निविदादाता को विभाग द्वारा जारी किसी भी प्रकार के (विज्ञान उद्यान, नवलगढ़ सम्बन्धित सुसंगत कार्य आदेश) को मानना अपेक्षित होगा अन्यथा नियमानुसार प्रशासनिक कार्यवाही की जावेगी।

43 . Grievance Redressal during Procurement Process:

- 1- The designation and address of the First Appellate Authority is Commissioner, S&T and Government of Rajasthan.
- 2- The designation and address of the Second Appellate Authority Principal Secretary DST, Government of Rajasthan.

44. All the terms conditions of this bid will be followed by the bidder as per the circular of Finance (G&T) Department F.2(1)FD/SPFC/2017 dated 30th April 2018 (Annexure "Z"), and also as per amendments made by Finance Department, Government of Rajasthan from time to time.

अध्याय-11

निविदा प्रपत्र (Bid Form)

Tender For विज्ञान उद्यान परिसर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुंझुनू में अनुबन्ध पर तकनीकी रखरखाव कार्य

1.	Department Inviting the Tender	Department of Science & Technology (DST), 4th Floor, Mini Secretariat, Banipark, Jaipur	
2.	Reference of NIT		
3.	Work or Services to be outsourced under Tender	विज्ञान उद्यान परिसर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुंझुनू में अनुबन्ध पर तकनीकी रखरखाव कार्य उपलब्ध कराना	
4.	Estimated cost of the work under	Rs. 2.35 Lakh (Rs. Two Lakh Thirty Five thousand Only)	
5.	Officer invited the tender	Research Officer, Department of Science & Technology, Regional Office, Bikaner	
6.	Name of the Bidder with Particulars	Name	
		Address	
		Telephone Number with STD Code	
		Mobile No.	
		Fax Nos.	
		E-mail ID	
	Website		
PAN/TAN numbers of the Company (enclose copy)			
Is Company having the requisite Silence from Labour Department for Labour Contract? (Yes/No) Give details			
If yes, provide a copy of the records. (Please mention the enclosure number)			
ESI No. (enclose copies)			
PF No. (enclose copies)			
Security License Details(enclose copies)			
7.	Tender Form Cost Deposit vide	DD/Cash/Banker's Cheque _____ Receipt No. _____ dated _____ for Rs.- from _____ bank _____ branch _____ Payable at _____ (DD/Cash Receipt enclosed with technical	

Tender For विज्ञान उद्यान परिसर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नवलगढ, झुंझुनू में अनुबन्ध पर तकनीकी रखरखाव कार्य

				tender)(Original/ copy)
8.	Earnest money deposited vide	DD/Cash/Banker's Cheque _____ Receipt No. _____ dated _____ for Rs. from _____ bank _____ branch _____ Payable at _____ (Original DD/Cash Receipt enclosed herewith)		
9.	Registration Particulars of the Bidder	Status (Company / Institute / Firm Corporate Body etc.		
		Registration No. & Date		
		Office where Registered		
10.	Name and Designation of Authorized Signatory			
	Name & Designation			
	Address			
11.	Bank detail			
	Name as per the account		RTGS Code	
	Branch Name & Place		IFSC Code	
Signature of the Bidder				
Date				
Name of the Bidder Company				
Status or Post held by the person signing and submitting this bid				
Contact Phone Mobile Number with STD code				
Mobile Number				

हस्ताक्षर निविदादाता
 निविदादाता का नाम एवं पूर्ण पता
 मय मोहर



Annexure-02

शपथ पत्र (फर्म के लेटर हेड पर)
(तकनीकी निविदा के साथ रखी जानी है)

मैसर्स (फर्म का नाम एवं पता).....
शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करते/ करती है कि:-

- 1 निविदा क्रमांक दिनांक के प्रत्युत्तर में मेरे/हमारे द्वारा विभाग में जमा करवाये गये निविदा में दी गयी समस्त जानकारियाँ/ जमा कराये गये दस्तावेज पूर्णतया सही हैं तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी एवं मैं/हम निविदा क्रमांक दिनांक में दी गई समस्त शर्तों से सहमत हैं।
- 2 मेरे/ हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/ हमारी फर्म केन्द्र/राज्य सरकार अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा Black Listed नहीं की गयी है।

हस्ताक्षर

नाम:

पद:

फर्म का नाम:

फर्म का पूर्ण पता:

मोहर:

Annexure-03

चैक लिस्ट

(तकनीकी निविदा के साथ रखी जानी है)

नोट:- सभी संलग्न कागजातों/ पृष्ठों पर क्रमांक (Page No.) एवं हस्ताक्षर अंकित किये जाये एवं कॉलम संख्या-3 में लिखा जाये। सभी संलग्न कागजातों को चैक लिस्ट के क्रमानुसार तकनीकी लिफाफा संख्या 1 में रखे

क्र.	विवरण	निविदादाता द्वारा पृष्ठ क्र. अंकित किये जाने हैं	विवरण
1	2	3	4
1.	निविदा प्रपत्र मूल्य (₹.....) जमा का प्रमाण (नकद रसीद की प्रति/ डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/ प्रतिभूति निपेक्ष) (डी डी के पीछे फर्म का नाम लिखना है)	निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करे	
2.	अमानत (बयाना) राशि (₹.....) जमा का प्रमाण (डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर चैक/ प्रतिभूति निपेक्ष/ विभाग में राशि जमा की रसीद) डी डी के पीछे फर्म का नाम लिखना है	निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करे	
3.	श्रम विभाग, विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।		
4.	GST (राज्य एवं केन्द्र) के पंजीयन प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।		
5.	पी.एफ. विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।		
6.	ई.एस.आई. विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।		
7.	निविदादाता फर्म सुरक्षा सेवा प्रदान करने हेतु विधिमान्य लाईसेन्सधारी/राज्य या केन्द्र सरकार के विभाग से सम्बन्धित <u>पंजीयन प्रमाण-पत्र</u> की स्वप्रमाणित प्रति		
8.	Annexure-1 कार्यानुभव का विवरण		
	<u>कार्यानुभव:-</u> कार्यादेश की प्रति/ भुगतान आदेश की प्रति/ कार्य		

	पूर्णता की प्रति अथवा अन्य कोई प्रमाण। Annexure-1 के अनुसार		
9.	वित्तीय स्थिति: प्रमाण के रूप में निविदादाता फर्म की गत तीन वित्तीय वर्ष की सी0 ए0 से प्रमाणित बैलेन्स शीट/ऑडिट रिपोर्ट तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी (औसत टर्न ओवर ₹.....)		
	2020-21	टर्न ओवर.....लाख	
	2021-22	टर्न ओवर.....लाख	
	2022-23	टर्न ओवर.....लाख	
10.	निविदादाता द्वारा अपने लैटर हैड पर निर्धारित प्रारूप (Annexure-02) में undertaking		

ANNEXURE : 4

राजस्थान सरकार
वित्त (G&T) विभाग

क्रमांक: एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017

जयपुर, दिनांक 30/04/2018
संख्या ...1.../2018

परिपत्र

विषय:- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश बाबत।

संदर्भ:- एकलपीठ याचिका संख्या 372/2013 अनोख बाई व 1 अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2016

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि कतिपय मामलों में उपापन संस्थाओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के पूर्ण प्रयास नहीं किए जाते हैं कि श्रम नियोजित श्रमिकों को नियमानुसार देय न्यूनतम मजदूरी नियमित रूप से प्राप्त होती रहे, जिससे इस प्रकार के प्रकरणों में श्रम नियोजित श्रमिकों के शोषण की संभावना बनी रहती है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा सन्दर्भित निर्णय में इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए हैं।

माननीय न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय की पालना में समस्त उपापन संस्थाओं को एतद्वारा यह निर्देश दिए जाते हैं कि राज्य सरकार की विभिन्न उपापन संस्थाओं के अन्तर्गत विभिन्न सेवाओं एवं संकर्मों के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों की पूर्ण पालना की जानी अनिवार्य है तथा उपापन संस्था द्वारा विभिन्न सेवाओं के संपादन में आवश्यकतानुसार मानव संसाधन हेतु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम एवं नियमों में प्रावधित उपापन की विभिन्न रीतियों में से उपयुक्त रीति का चयन करते हुए किया जाएगा परन्तु प्लेसमेंट ऐजेन्सीज के माध्यम से मानव संसाधन का उपापन नहीं किया जाएगा।

उपापन संस्था द्वारा उक्तानुसार विभिन्न सेवाओं के संपादन में कार्यरत मानव संसाधन की उपापन प्रक्रिया हेतु बोली दस्तावेजों में अन्य आवश्यक बिन्दुओं के साथ-साथ निम्नांकित विशिष्ट बिन्दुओं का अनिवार्य रूप से समावेश किया जायेगा-

(i) बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा :-



1/6

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

(ii) जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी:-

क्र. सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या			EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सामग्री राशि/ उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	श्रमिक श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि				
		1. अकुशल 2. अर्द्ध कुशल 3. कुशल 4. उच्च कुशल							

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केवल स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेंगी)

(iii) संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी:-

Bh

2/6

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1. अकुशल- 2. अर्द्ध कुशल- 3. कुशल- 4. उच्च कुशल-						

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1-4, 6 व 7 की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेंगी)

(iv) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(v) राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।

(vi) यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड़ सम्बन्धी कार्रवाई की जावेगी। ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।

(vii) संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

(viii) श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।



3/6

(ix) श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

(x) संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

(xi) संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।

(xii) राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

(xiii) संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

(xiv) श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।

(xv) यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

✓

4/6

(xvi) नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।


(xvii) कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

(xviii) यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगी।

(xix) यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर रखी है तो न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

(xix) उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अध्याधीन अन्य आवश्यक शर्तों के साथ-साथ उक्तानुसार शर्तों को बोली दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना सुनिश्चित करें ताकि श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना की जा सके। उक्तानुसार शर्त संख्या (iii) से (xix) का समावेश सफल बोलीदाता/संवेदक से किए जाने वाले अनुबन्ध में अनिवार्य रूप से किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता को राज्य सरकार द्वारा अत्यन्त गंभीरता से लिया जायेगा।


(मजू राजपाल)
शासन सचिव,
वित्त (बजट)

अध्याय-12

वित्तीय निविदा

(अलग लिफाफे में सील बंद कर प्रस्तुत करें)

इस निविदा क्रमांक....., दिनांक..... से सम्बंधित सभी प्रतिबन्ध एवं शर्तें मैंने/हमने पढ़ ली है और ये प्रतिबन्ध एवं शर्तें मुझे/हमें स्वीकार्य है। विज्ञान उद्यान नवलगढ, झुंझुनू में तकनीकी रखरखाव कार्य की निम्न प्रकार से वित्तीय निविदा प्रस्तुत है।

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रति व्यक्ति	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत (13%) प्रति व्यक्ति	ESI दर प्रतिशत (3.25%) प्रति व्यक्ति	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि $I=(E+F+G+H)$ प्रति बिन्दु
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	तकनीकी रखरखाव कार्य	(कुशल) 02	7358.00		957.00	239.00		
Grand Total (Both in Figure and Words):								
.....							

नोट :-

- 1 निविदादाता GST को छोड़कर अन्य समस्त कर व चार्जेज सहित अपनी दरें प्रस्तुत करेगा। GST नियमानुसार प्रचलित दर के अनुसार देय होगा। अंतिम निर्णय नियमानुसार एवं निदेशक, विप्रौ. का मान्य होगा। उक्त सभी कार्यों के लिये दरें दी जानी आवश्यक है। किसी एक कार्य की दरें स्वीकार नहीं की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से कम दरें स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 2 न्यूनतम दर की गणना, कुल माहवार राशि के आधार पर की जाएगी, तथापि कार्य की मात्रा में बढ़ोतरी/कमी की जा सकती है। न्यूनतम दर दाता को कार्यादेश दिया जाना आवश्यक नहीं है।

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम :-

फर्म का नाम :-

मोहर:-